प्रेसनोट, दिनांक 15.10.2025
थाना अजगैन, जनपद उन्नाव

महिला की हत्या की साजिश रचने व लूट का आरोपी 10 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व क्षेत्राधिकारी हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजगैन पुलिस, स्वाट एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा महिला की हत्या की साजिश रचने वाले 10 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त को कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व लूटी हुई चैन का टुकड़ा बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 11.10.2025 को रात्रि के समय श्रीमती शान्ती पत्नी स्वं बलवन्त सिंह उम्र करीब 70 वर्ष निवासिनी ग्राम बत्तूखेड़ा जनपद उन्नाव द्वारा थाना अजगैन पर सूचना दी गई कि शाम को समय करीब 19.30 बजे वह अपने घर पर स्थित दुकान पर मौजूद थी तभी हेलमेट पहने एक अज्ञात व्यक्ति मेरी दुकान पर आया औऱ मुझसे कुछ सामान खरीदा जिसके बाद उपरोक्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुकान में घुसकर मुझपर जान से मारने की नियत से हमला किया औऱ मेरा गला दबा दिया तभी किसी के आने की आहट पाकर उपरोक्त व्यक्ति मेरी गले में पहनी सोने की चेन छीनकर भाग गया है। उक्त घटना को मेरे भतीजे लकी पुत्र लालबहादुर द्वारा कराया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अजगैन पर मु0अ0स0 469/25 धारा 333/109/309(4)/351(3) बीएनएस बनाम लकी सिंह उपरोक्त व उसके अज्ञात साथी पंजीकृत किया गया था। घटना के सन्दर्भ में क्षेत्राधिकारी हसनगंज द्वारा पुलिस टीम का गठन कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। दिनांक 12.10.2025 को पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त 1.राकेश श्रीवास्तव पुत्र शिवप्रसाद श्रीवास्तव निवासी बेहटाखुर्द कैथना थाना भधोहर जनपद रायबरेली 2. बुद्धिलाल पुत्र स्व0 पियारे लाल निवासी ग्राम बक्तूखेडा थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आज दिनांक 15.10.2025 को थाना अजगैन पुलिस, स्वाट एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित एवं 10 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त लकी सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह नि० बक्तू खेडा थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 25 वर्ष को कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस

315 बोर व लूटी हुई चैन का शेष भाग बरामद कर करोवन से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त लकी सिंह द्वारा बताया गया कि वह अपनी बड़ी मम्मी श्रीमती शान्ती उपरोक्त के साथ रहता था, बड़े पापा के निधन के पश्चात उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे लगा कि यही ये पूरी संपत्ति किसी और के नाम न कर दें। इसलिये मैने सम्पत्ति व जायदाद हड़पने के उद्देश्य से उनकी हत्या करने के लिये राकेश श्रीवास्तव पुत्र शिवप्रसाद श्रीवास्तव निवासी बेहटाखुर्द कैथना थाना भधोहर जनपद रायबरेली व बुद्धिलाल पुत्र स्व0 पियारे लाल निवासी ग्राम बक्तूखेडा थाना अजगैन जनपद उन्नाव को 05 लाख रुपये देने का लालच(सुपारी) देकर उनपर हमला कराया तथा घटना को लूट-पाट करने व लूटपाट के विरोध में हत्या होने की योजना बनाई गई थी। जिसमें पुलिस द्वारा मेरे दो साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त लकी सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- लकी सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह नि० बक्तू खेडा थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण – एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व लूटी हुई चैन का शेष भाग

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरी0 श्री सुरेश कुमार सिंह
वरि0 उ0नि0 श्री मोर मुकुट पाण्डेय
उ0नि0 श्री दयाराम सिंह
का0 रोहित कुमार सिंह
का0 अभय कुमार चौहान
का0 पुष्पेन्द्र सिंह
का0 योगेश

स्वाट टीम जनपद उन्नाव-

स्वाट प्रभारी निरीक्षक श्री जय प्रकाश यादव
उ0नि0 श्री ज्ञान सिंह
हे0का0 रोहित शर्मा
हे0का0 आशीष मिश्रा
का0 रवी
का0 नितीश
का0 गौरव
का0 शुभम
का0 हरेश
का0 यशवीर
का0 राहुल

सर्विलान्स टीम जनपद उन्नावः-

उ0नि0 श्री विनोद सिंह
का0 अरूण कुमार
का0 आकाश बालियान

प्रेसनोट, दिनांक 15.10.2025
थाना मौरावां, जनपद उन्नाव

अवैध आतिशबाजी के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मौरावां पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को अवैध आतिशबाजी बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 14.10.2025 को थाना मौरावां पुलिस द्वारा चौधरिन टोला कस्बा मौरावां में अवैध रूप से बिक्री हेतु पटाखा भण्डारण किये हुए अभियुक्त गिरजाशंकर कटियार पुत्र स्व0 शिवलाल कटियार मोहल्ला चौधरिन टोला कस्बा व थाना मौरावां जनपद उन्नाव उम्र करीब 43 वर्ष को कब्जे से पटाखा 140 पैकेट कुल 1400 नग, बीड़ी पटाखा 380 नग, मस्ताब 115 नग, बड़ी मस्ताब 5 नग, अनार 10 नग बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मौरावां पर मु0अ0सं0 593/2025 धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गिरजाशंकर कटियार पुत्र स्व0 शिवलाल कटियार मोहल्ला चौधरिन टोला कस्बा व थाना मौरावां जनपद उन्नाव उम्र करीब 43 वर्ष

बरामदगी का विवरण – अभियुक्त के कब्जे से बोरी में पटाखा 140 पैकेट कुल 1400 नग, बीड़ी पटाखा 380 नग, मस्ताब 115 नग, बड़ी मस्ताब 5 नग, अनार 10 नग बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार
2. उ0नि0 श्री सुरेश सिंह
3. हेड कां0 मनोज कुमार
4. हेड कां0 रवीन्द्र सिंह
5. कां0 विजय सोलंकी
6. म0कां0 वन्दना यादव